कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम (म.प्र.)

:: परिपत्र ::

क्रमांक /लेखा/23/(दो–12–07/06) रतलाम, दिनांक

प्रायः यह देखा गया है कि जिला मुख्यालय स्थापना रतलाम/तहसील मुख्यालय जावरा/आलोट/सैलाना पर पदस्थ कतिपय न्यायिक अधिकारीगण एवं तृतीय/ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण द्वारा अवकाश/मुख्यालय अनुमति आवेदन पत्र में स्पष्ट कारण का उल्लेख न करते हुए 'आवश्यक कार्य/पारिवारिक कार्य/बाहर जाने हेतु' लिखा जाता है, जो उचित नहीं है।

अतः समस्त न्यायाधीशगण एवं तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे आकस्मिक एवं ऐच्छिक अवकाश/मुख्यालय अनुमति आवेदन पत्र में स्पष्ट कारण एवं स्थान का उल्लेख करते हुए नियत समयावधि पूर्व कार्यालय को प्रेषित करें अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त किया जावेगा।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावें।

अवकाश के संबंध में पूर्व में जारी परिपत्र क्र. 112 दिनांक 11.02.23 यथावत रहेगा।

(राकेश मोहन प्रधान)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रतलाम म.प्र.

पृ.क्रमांक /23/(दो–12–07/06) रतलाम, दिनांक

प्रतिलिपि –

1. समस्त न्यायाधीशगण, रतलाम/जावरा/सैलाना/आलोट।
2. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, रतलाम/जावरा/सैलाना/आलोट की ओर समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को सूचित किय जाने हेतु प्रेषित।
3. प्रशासनिक/उप प्रशासनिक, अधिकारी/वरिष्ठ निज सहायक/लेखापाल, जिला न्यायालय रतलाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(राकेश मोहन प्रधान)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रतलाम म.प्र.